प्रकरण क्रमांक–176/2018 दयाल हसीजा विरूद्ध हर्ष जेनेरिक्स द्वारा प्रो0 सुरेश कुमार रमानी

Witness No. .....3..... for ..... बचाव साक्षी..... **Deposition taken.....**

the .....07-12-2023..... day of .....गुरूवार...**Witness's apparent age .....50Y.....**

States on affirmation ....शपथपूर्वक कथन..... **my name is....** सुरेश रमानी.....

son of ..... श्री किशनचंद रमानी **.... occupation ….....**रिटायर्ड.....

address .---- भारतीय स्टेट बैंक के सामने तिल्दा, जिला रायपुर, छ0ग0.....

समय 03:15 बजे–

//मुख्यपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री सुनील सोनी वास्ते अभियुक्त//

01. मै परिवादी दयाल हसीजा को नही जानता हू और न ही पहचानता हूं और न ही कभी उससे मेरी मुलाकात हुई है और न ही मैने उसे देखा है और न ही उसने मुझे देखा है। मैने परिवादी दयाल हसीजा के साडू भाई योगेश गेलानी को बैंक फायनेंस के लिए लगभग 35 ब्लैंक चैक दिए थे व बैंक से फायनेंस कराने के लिए आठ लाख रूपये नगद मार्जिन मनी के रूप मे परिवादी के साडू भाई योगेश गेलानी को दिए थे। परिवादी के साडू भाई योगेश गेलानी ने दो तीन बैंक अधिकारियों को सर्वे के लिए मेरे दुकान मे भेजा था, लगभग दो तीन माह के बाद परिवादी के साडू भाई योगेश गेलानी ने बताया कि फरिश्ता कॉम्पलैक्स की दुकान फायनेंस नही हो पायेगी क्योंकि फरिश्ता कॉम्पलैक्स की बिल्डिंग जर्जर एवं पुरानी हो गयी है व फरिश्ता कॉम्पलैक्स बिल्डिंग की लीज रिनिवल नही हो पाएगी इस वजह से तुम्हारा बैंक से फायनेंस नही हो पाएगा। परिवादी के साडू भाई योगेश गेलानी ने कहा कि मै मार्केट से आपको प्राइवेट फायनेंस कराके देता हूं, जिसकी ब्याज की दर 10 प्रतिशत के आसपास होगी।

02. मेरे द्वारा प्राइवेट फायनेंस के लिए परिवादी के साडू भाई योगेश गेलानी को मना करने पर उसने लगभग एक दो माह के पश्चात् मेरे दस्तावेज एवं आठ लाख रूपये मे से चार लाख रूपये दयाल हसीजा नामक व्यक्ति के एकाउंट से एवं दो लाख रूपये पूनम हसीजा नामक महिला के एकाउंट से व दो लाख रूपये योगेश गेलानी के एकाउंट के माध्यम से मुझे वापस किया था और परिवादी के साडू भाई योगेश गेलानी ने कहा कि आपके जो चैक है, प्रोसेस के लिए जिनको दिया हूं, उनके पास पडे है, उन चैकों को मै आपको वापस कराता हूं।

03. कुछ समय निकलने के पश्चात् दिपावली के समय मैने परिवादी के साडू भाई योगेश गेलानी से चैक को वापस करने को कहा, तो योगेश गेलानी ने कहा कि दीपावली मे ऑफिस एवं घर की साफ–सफाई के दौरान चैक कहीं रखा गया है। योगेश गेलानी ने कहा कि चैक मेरे पास है आप निश्चिंत रहे, मै आपको चैक ढूंढ के देता हूं। कुछ समय के पश्चात् योगेश गेलानी ने मेरे साथ धोखाधडी, छल कपट, ठगी करते हुए मेरे दिए हुए चैकों का दुरूपयोग करते हुए चैकों मे कूटरचना करते हुए योगेश गेलानी ने स्व्यं अपने नाम से एवं अपने साडू भाई दयाल हासीजा एवं अपनी साली पूनम हासीजा, जो कि दयाल हासीजा की पत्नि है, के माध्यम से चैकों मे कूटरचना कर रायपुर न्यायालय मे मेरे विरूद्ध 19 से 20 प्रकरण मेरे विरूद्ध लगाए है। मै कभी भी परिवादी दयाल हासीजा एवं उसकी पत्नि पूनम हासीजा से आज दिनांक तक नही मिला हूं और न ही देखा हूं और न ही कभी बात किया हूं।

04. परिवादी के द्वारा उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष जो प्रस्तुत किया गया है, उक्त प्रकरण की विधिक सूचना पत्र मुझे प्राप्त नही हुई है। **प्रपी 01** का चैक योगेश गेलानी ने छल पूर्वक, कपट पूर्वक ठगी करते हुए **प्रपी 01** के चैक मे कूटरचना करते हुए मेरे ब्लैंक चैक मे मनमानी राशि अंकित कर कपटपूर्वक चैक भरकर प्रस्तुत किया है।

05. परिवादी के द्वारा भेजा गया **प्रपी 06** का लिफाफा वापस न्यायालय मे प्रस्तुत है, मुझे विधिक सूचना पत्र **प्रपी 03** प्राप्त नही हुआ है और न ही मैने रिजीव किया है। मुझे इस बात की जानकारी भी नही है कि **प्रपी 03** का विधिक सूचना पत्र मुझे भेजा गया है।

06. मैने योगेश गेलानी, दयाल हसीजा, पूनम हसीजा के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् कु0 गायत्री साय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर छ0ग0 मे पांच परिवाद प्रस्तुत किए है, उक्त परिवाद **प्रडी 01** से **प्रडी 05** है। **प्रडी 01** के प्रथम पेज मे मेरा कथन जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

07. परिवादी ने अपने परिवाद पत्र मे जान पहचान होने का कथन किया है, जबकि मै आजतक मिला तक नही हूं। मेरे खिलाफ परिवादी ने झूठा मामला पेश किया है।

समय– 03:50 बजे–

टीप– आदेश पत्रिका मे उल्लेखित कारण के परिप्रेक्ष्य मे साक्षी का प्रतिपरीक्षण आगामी तिथि तक के लिए स्थगित किया जाता है।

साक्षी को वाचित।
सहीं होना स्वीकृत।

मेरे निर्देश पर टंकित।

साक्षी का हस्ताक्षर–.....

(अरूण नोरगे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर, छ0ग0

(अरूण नोरगे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर, छ0ग0